न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –87/2023

अनवान : –

1. महेन्द्र पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम्

1. महावीर पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर

–असल प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 188 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 30/04/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 155/75 के खसरा नं. 363/359, 366/300, 369 356 371/357, 373/358 कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 5.5020 है० भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 155/75 की कुल तादादी 5.5920 है० भूमि जो वादी अकेले के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रतिवादी संख्या 1 महावीर वादी के खेत के खसरा न 363/359 व खसरा नं. 366/360 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता रहता है व वादी के खेत में से मिट्टी उठाता है और फसल को नुकशान पहुंचाता है। उपरोक्त भूमि वादी के अकेले के नाम दर्ज है लेकिन यादी का भाई प्रतिवादी संख्या 1 काफी तेज तर्रार व्यक्ति है जो जबरिया वादी की खातेदारी कृषि भूमि में प्रवेश कर[illegible]सरा नं. 366/360 में प्रवेश कर मिट्टी उठाकर मेरी फसल को नुक[illegible] उसके खेत की सींव डोल तोड़ने की धमकी देता रहता है [illegible]संख्या 1 को जरिये [illegible] निषेधाज्ञा पाबंद करवाने का अधिकारी है कि वादी की खातेदा[illegible] कृषि भूमि मौजा ल[illegible] बास नथवानियां तहसील नोहर के खाता संख्या 155/75 की कुल तादादी 5.5920 है० भूमि में प्रवेश नहीं करें

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:14 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मिट्टी नहीं उठावे तथा वादी की सींव डोल आदि नहीं तोड़े एवं मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। यही विनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

अधिवक्ता वादी के निवेदन पर बहस सुनी गई। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व किार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा है एवं सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा है तथा वादी की भूमि में से मिटटी को उठाया जा रहा है लेकिन वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा किया गया हो या सीवं व डोल को मिस्मार किया गया हो एवं मिटटी उठाई गयी हो वादी द्वारा केवल कथन किया गया है एवं कथनों के आधार पर वादी न्यायालय से अनुतोष पाने की अधिकारी नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:14 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –67 / 2023

अनवान : –

1. महेन्द्र पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम्

1. महावीर पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर

–असल प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 67 सन 2023 निर्णय दिनांक 30/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:14 IST
Reason: SelfAttested